

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 367] No. 367] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 8, 2016/आश्विन 16, 1938

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8, 2016/ASVINA 16, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2016

फा. सं. प्रशा/रिक/42/2015/08020.—कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2)की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विनियम, 1999 में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

- 1. इन विनियमों को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण संशोधन विनियम 2016 कहा जाएगा।
- 2. वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अधिनियम 28 (9) एफ में निम्न संशोधन :-

के स्थान पर	इस रूप में पढ़ा जाए
•	प्राधिकरण, सेवाओं के लिए जैसा उचित समझे, संविदा कर
* * *	सकता है। केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमित के बिना संविदा पर कोई भी नियुक्ति 6 माह से अधिक की अवधि के लिए और

4800 GI/2016 (1)

अधिकतम 23000/-रु (अर्थात् समूह -ग श्रेणी के वेतन अधिकतम 40000/-रु से अधिक मासिक पारिश्रमिक पर नहीं बैण्ड + ग्रेड वेतन के अधिकतम मासिक पारिश्रमिक) पर नहीं की जाएगी।

अनीता प्रवीण, अध्यक्ष एपीडा

[विज्ञापन-III/4/आस./228(166)]

फुटनोट: प्रमुख विनियम अधिसूचना संख्या. एफ न. 11/5/26- (ईपी एग्री.IV) दिनांक 11 अगस्त 1999।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2016

- **F. No. ADM/REC/42/2015/08020.**—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority, with the previous sanction of Central Government, hereby amend the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority Regulations-1999 in the following manner namely:—
- 1. (1) These regulations may be called the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Regulations-2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority Regulations, 1999, Regulation 28 (9) f is amended as:—

Existing Provision	Read as
The Authority may contract services, as deemed fit. No contract	The Authority may contract services, as deemed fit.
appointments of more than 6 months duration and on monthly	No contract appointments of more than 6 months
remuneration subject to maximum of Rs.23000/- (i.e. maximum	duration and on monthly remuneration subject to
of pay band + Grade pay of Group C category) shall be made	maximum of Rs. 40000/- shall be made without prior
without prior approval of the Central Government	approval of the Central Government

ANITA PRAVEEN, Chairman APEDA

[ADVT.III/4/Exty./228(166)]

Footnote: The Principal Regulation was published by notification F. No. 11/5/26-EP (Agri. IV) dated 11th August, 1999.